भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1594

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

विस्थापित कश्मीरियों के लिए कम्पोजिट टाउनशिप

†1594 श्री राजन विचारे:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए घाटी में बसाने के लिए कम्पोजिट टाउनशिप बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जम्मू और कश्मीर सरकार से इस कम्पोजिट टाउनशिप के लिए भूमि प्राप्त करने में सक्षम है तथा इस संबंध में कार्यविधि तय कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में घाटी में अपने घर वापस लौटने के लिए प्रतीक्षा कर रहे कश्मीरी विस्थापित पंडितों की संख्या क्या है; और

(ड़) क्या हाल ही में सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर के लिए पैकेज की घोषणा की गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) से (ग): जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार से कश्मीर घाटी में उपयुक्त भूमि की पहचान करने का अनुरोध किया गया है, जहां कश्मीरी प्रवासियों को उचित रूप से पुनर्वासित किया जा सके । आगे की कार्रवाई भूमि की पहचान होने के बाद की जाएगी।

(घ): देश में ऐसे लगभग 62,000 पंजीकृत कश्मीरी प्रवासी परिवार हैं, जिन्होंने वर्ष 1990 के आरंभ में जम्मू एवं कश्मीर राज्य में उग्रवाद/आतंकवाद आरंभ होने के कारण कश्मीर घाटी से पलायन किया था। जम्मू में लगभग 40,000, दिल्ली/एनसीआर में लगभग 20,000 पंजीकृत कश्मीरी प्रवासी परिवार रह रहे हैं और लगभग 2,000 परिवार देश के अन्य भागों में बसे हुए हैं।

(ङ): भारत सरकार ने दिनांक 18 नवंबर, 2015 को एक पुनर्वास पैकेज अनुमोदित किया है जिसमें कश्मीरी प्रवासियों को अतिरिक्त 3000 सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने और उन कश्मीरी प्रवासियों, जिन्हें राज्य सरकार की नौकरियां उपलब्ध कराई गई हैं/ उपलब्ध कराई जाएंगी, के लिए कश्मीर घाटी में 6000 अस्थायी आवासों के निर्माण हेतु 2000 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय शामिल है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार से शीघ्रातिशीघ्र पैकेज के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।